FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0168 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 02/07/2025 16:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 13/06/2025 Date To (दिनांक तक): 30/06/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:35 बजे Time To (समय तक): 13:22 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/07/2025 Time (समय): 17:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 02/07/2025 16:50:58 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 65 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

      (b) Address(पता): BUHANA BAS STAND RAM MEDICAL STORE KE PASS WALI GALI ME, PATAWARI KE NIJI KARYALYA, BUHANA

      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMESH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MULARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1972 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM DHANEE RADOO,POST GADLEE, BUHANA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM DHANEE RADOO,POST GADLEE, BUHANA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURENDRA SINGH		पिता:MAADURAM YADAV	1. GOAN KHANDVA,BUHANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
2	DHARAMPAL SINGH		पिता:KISHANARAM	1. DHANI GALDRIYA,KHETARI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 13.06.2025 को परिवादी श्री रमेश पुत्र श्री मूलाराम, जाति जाट, उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम ढाणी रादू, पोस्ट गादली, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं ने एक टाईपशुदा लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयं के आधार कार्ड, जमाबंदी, भूमि का सीमाकंन करवाने के आवेदन पत्र की स्वयं प्रमाणित फोटोप्रति इस आशय का पेश किया की मेरी ढाणी रादू में मेरी पैतृक जमीन है, मैने मेरी जमीन का सीमाज्ञान करवाने के लिये तहसीलदार बुहाना को ऑनलाईन प्रार्थना पत्र भिजवाया था, तहसीलदार ने हल्का पटवारी श्री धर्मपाल, पटवार हल्का गादली के नाम सीमा ज्ञान करने हेतु मनोनीत किया। मैं हल्का पटवारी धर्मपाल से मिला तो उन्होने मेरी जमीन का सीमाज्ञान करने की एवज में 18,000 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, और मुझे मजबुर कर पटवारी ने 7,000 हजार रूपये ले लिये ओर अब पटवारी मेरे से 11,000 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है और कहा कि आपकी जमीन का सीमाज्ञान करके पत्थर गढ़ी करवा दूंगा। मैं पटवारी धर्मपाल को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। पटवारी धर्मपाल से मेरा कोई उधार लेन देन एवम आपसी रंजीश नही है, रिपोर्ट देता हूं कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री रमेश कुमार से दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मै कम पढा लिखा हूँ केवल हस्ताक्षर करना जानता हू मुझे लिखना नही आता है यह रिपोर्ट मै टाईप वाले से टाईप करवा कर लाया हूँ। मैने जैसा बोला वैसा ही टाईप वाले ने टाईप किया है। परिवादी ने बताया कि मेरी श्री धर्मपाल पटवारी, पटवार हल्का गादली, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं से पहले का कोई उधार लेन देन नही है और ना नही कोई आपसी रंजीश है। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग सत्यापन का पाया गया। परिवादी ने बताया कि श्री धर्मपाल, पटवारी आज बुहाना में नही मिलेगा, आप दिनांक 16.06.2025 को आपके कार्यालय के किसी कर्मचारी को बुहाना भिजवा देना, मैं सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। आईन्दा रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायी जावेगी। रिश्वत मांग सत्यापन से जैसी स्थिति रहेगी उस पर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 18.06.2025 को परिवादी से हुई वार्ता के क्रम में श्री विक्रम सिंह कानि 92 को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व परिवादी श्री रमेश के मोबाईल नम्बर देकर बुहाना के लिये रवाना किया गया। श्री विक्रम सिंह कानि 92 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मुझे सुपुर्द कर बताया कि एसीबी चौकी झुंझुनूं से रवाना होकर बुहाना बस स्टैण्ड पहुचं, परिवादी रमेश से मिला। परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर उनके पुत्र सुरेन्द्र के साथ संदिग्ध आरोपी पटवारी धर्मपाल से उसके कार्यालय के रिश्वत मांग सत्यापन कर लाने हेतु रवाना किया। थोड़ी देर बाद परिवादी रमेश वापिस आया जिनसे डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा तथा परिवादी ने बताया कि अभी श्री धर्मपाल कार्यालय मे नही मिला। कुछ समय बाद परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर उनके पुत्र सुरेन्द्र के साथ श्री धर्मपाल से वार्ता करने हेतु उसके कार्यालय के लिये रवाना किया गया जो कुछ समय बाद वापिस आया, जिनसे डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि मेरी श्री धर्मपाल पटवारी से अपने काम के संबंध में बात हो गयी है जिनसे रिश्वत संबंधी बात हो गई है। परिवादी को बुहाना मे हिदायत मुनासीब देकर रूखस्त किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्यूटर में लगाकर मेरे द्वारा सुना गया तो परिवादी व कानि के बताई गयी बातो की ताईद होना पाई गई । पटवारी श्री धर्मपाल द्वारा परिवादी को अन्य पटवारी श्री सुरेन्द्र को शेष रूपये देने के लिए कह रहा है ऐसी सूरत में सुरेन्द्र पटवारी से भी सत्यापन कराना आवश्यक है आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित हालात में कार्यालय की आलमारी में रखा गया। दिनांक 25.06.2025 को श्री विक्रम सिंह कानि. 92 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी श्री रमेश व आरोपी श्री धर्मपाल के मध्य दिनांक 18.06.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को सुपुर्द कर परिवादी श्री रमेश से सम्पर्क करने की हिदायत कर बुहाना रवाना किया गया। श्री विक्रम सिंह कानि. 92 गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु बुहाना गया हुआ वापस आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द कर बताया कि बुहाना पहुँच परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री सुरेन्द्र पटवारी के कार्यालय में भेजा जो कुछ समय पश्चात वापिस आया। परिवादी ने बताया कि मेरी श्री सुरेन्द्र पटवारी से बात हो गई है जिन्होने मेरे से 8,000 रुपये रिश्वत की मांग की है, श्री सुरेन्द्र पटवारी ने मुझे एक दो दिन में रिश्वत राशि लेने की कही है। आपके निर्देशानुसार

परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना तो कानि व परिवादी द्वारा बताई गई बातो की ताईद होना पाई गई। दिनांक 26.06.2025 को परिवादी श्री रमेश गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित कार्यालय आया। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी झुंझुनूं से गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार श्रम निरीक्षक एवं श्री राकेश कुमार सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी झुंझुनूं को हमराह लेकर हाजिर आया। परिवादी श्री रमेश का स्वतंत्र गवहान श्री पवन कुमार श्रम निरीक्षक व श्री राकेश कुमार सहायक प्रोग्रामर से आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में आर्टीकल्स को शिल्ड करने हेतु काम में ली जाने वाली पीतल की सील नम्बर 29 की फर्द नमूना ब्रासशील पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री रमेश व आरोपी श्री धर्मपाल पटवारी पटवार हल्का गादली के बीच दिनांक 18.06.2025 व परिवादी श्री रमेश तथा आरोपी श्री सुरेन्द्र पटवारी के मध्य दिनांक 25.06.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर से जोडकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री विक्रम सिंह कानि. 92 से तैयार करवाई गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता से चार पेनड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क A अंकित किया गया। दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क A-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दो अन्य अलग-अलग आवाज व आरोपीगण श्री धर्मपाल पटवारी, श्री सुरेन्द्र पटवारी की आवाज होने की पहचान की है। परिवादी श्री रमेश को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से 8,000 रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटां पर श्री दलीप कुमार कानि 10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री पवन कुमार से परिवादी श्री रमेश की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 8,000 रूपये के नोट श्री दलीप कुमार कानि 10 से परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में सावधानी पूर्व रखवाये जाकर परिवादी श्री रमेश को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री दलीप सिंह कानि 10 परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीषियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया तो मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। उक्त डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक रिकार्ड करने हेतु परिवादी श्री रमेश को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी ने बताया कि मैने श्री सुरेन्द्र पटवारी का गोपनीय रूप से मालुम किया है वो आज नही मिलेगे। परिवादी की पेंट की बांयी जेब में फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए 8000 रूपये श्री दलीप सिंह कानि. 10 से निकलवाये जाकर एक लिफाफे में डालकर तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाये गये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद मुनासिब हिदायत के कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 27.06.2025 को मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि. 155, श्री विक्रम सिंह कानि. 92, श्री दलीप सिंह कानि. 10, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व श्री राकेश कुमार मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं लिफाफे में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती राशि हमराह लेकर प्राईवेट वाहन से एवं श्री इस्माईल खान अति. पुलिस अधीक्षक मय श्री करण सिंह हैडकानि. 104, श्री नरेन्द्र कानि. 81, श्री राकेश कानि. 243, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन के गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हो बुहाना पहुचे जहां परिवादी श्री रमेश उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि मैने गोपनीय रूप से मालूमात किया है कि श्री सुरेन्द्र पटवारी के कार्यालय पर ताला लगा हुआ है वो कार्यालय में उपस्थित नही है इसलिए आज ट्रेप कार्यवाही नही हो सकती है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान मय

सरकारी वाहन से एसीबी कार्यालय झुंझुनूं उपस्थित आये। स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत रवाना किया गया। दिनांक 30.06.2025 को स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व श्री राकेश कुमार एसीबी चौकी झुंझुनूं उपस्थित आने पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि. 155, श्री दलीप सिंह कानि. 10, श्री कुमार सानू कानि. 138, श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार व श्री राकेश कुमार मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं लिफाफे में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती राशि हमराह लेकर प्राईवेट वाहन से, श्री विक्रम सिंह कानि. 92 को अपनी मोटर साईकिल से एवं श्री इस्माईल खान अति. पुलिस अधीक्षक मय श्री करण सिंह हैडकानि. 104, श्री नरेन्द्र कानि. 81, श्री राकेश कानि. 243, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री जगदेव कानि. चालक नम्बर 354 मय सरकारी वाहन से रवाना होकर बुहाना पहुचे जहा परिवादी उपस्थित मिला। गवाह श्री पवन कुमार से परिवादी श्री रमेश की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास फोन के अलावा और कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई, तत्पश्चात परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में श्री दलीप कुमार कानि. न. 10 से रिश्वत राशि 8000 रूपये लिफाफे से निकलवाकर सावधानी पूर्वक रखवाई जाकर मुनासिब हिदायत दी गई। समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। श्री दलीप कानि. 10 को एसीबी कार्यालय झुंझुनूं हेतु रवाना किया गया। समय 01.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर कानि विक्रम सिंह के साथ मोटरसाईकिल से अरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी के प्राईवेट कार्यालय के लिए रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी के कार्यालय के आसपास परिवादी के तय ईशारे में अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकिम हुये। समय 01.22 पीएम पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का तय ईशारा प्राप्त होने पर मै व मय हमराही ट्रेप पार्टी सदस्यो के रवाना हो श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी के प्राईवेट कार्यालय में पहुचे जहा दो व्यक्ति अलग अलग कुसिर्यो पर बैठे हुये थे। मैने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने पास ही कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ हाथ का ईशारा कर बताया कि यही श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी है जिन्होने अभी-अभी मेरे से रिश्वती राशि 8000 रुपये लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में रख लिये है जिस पर उस व्यक्ति को मेरा एवं हमराहियान का परिचय देकर आने के उदेश्श्य से अवगत कराया। मैने उस व्यक्ति का नाम पता पुछा तो उस व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री माडुराम जाति यादव, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम खांदवा, थाना बुहाना, जिला झुंझुनूं, हाल पटवारी पटवार हल्का बड़बर होना बताया। कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति को परिवादी से 8000 रुपये रिश्वती राशि लेने के बारे में पूछा तो श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी ने सामने बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर कहा की श्री धर्मपाल पटवारी है इनके कहने पर मैने रमेश से 8000 रुपये लिये है। मेरे द्वारा दुसरे व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम धर्मपाल पुत्र श्री किशनाराम, जाति गुर्जर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ढाणी गलदरिया, तातिजा, थाना खेतड़ी नगर, जिला झुंझुनूं, हाल पटवारी, पटवार हल्का कलाखरी अतिरिक्त चार्ज गादली, तहसील बुहाना होना बताया। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी का दाहिना हाथ कानि नरेन्द्र कुमार व बाया हाथ श्री राकेश कुमार से पकड़वाया गया। मौके पर भीड़ भाड़ होने से व सुरक्षा की दृष्टी से श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी को जिस हालत में पकड़ा था उसी हालत में तथा श्री धर्मपाल सिंह पटवारी को प्राईवेट वाहन में बैठाकर व अन्य स्टाफ को सरकारी वाहन से अग्रीम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना बुहाना एक खाली कमरे में अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। मैने श्री सुरेन्द्र सिंह को पुनः तसल्ली देकर परिवादी श्री रमेश से रिश्वत में लिये गये 8000 रुपये के बारे में पूछा तो आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह ने बताया श्री धर्मपाल सिंह पटवारी ने मेरे से करीब 02 माह पहले दस हजार रुपये उधार लिये थे। श्री धर्मपाल पटवारी ने मुझे कहा था कि गादली गांव के श्री रमेश से 8000 रुपये ले लेना मौके पर ही परिवादी श्री रमेश ने आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी की बातो का खण्डन करते हुये बताया कि श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी झुठ बोल रहा है। मैने मेरी पैतृक जमीन का सीमा ज्ञान करवाने के लिए तहसील कार्यालय बुहाना में आनलाईन आवेदन किया था। तहसीलदार जी ने हल्का पटवारी श्री धर्मपाल सिंह के नाम मेरी जमीन का सीमाज्ञान करने के आदेश किये थे। श्री धर्मपाल सिंह पटवारी ने मेरी जमीन का सीमा ज्ञान करने की एवज में मेरे से 18,000 रुपये रिश्वत की मांग की तथा 7000 हजार सीमा ज्ञान करने से पहले ही ले लिये थे। मेरी पैतृक जमीन का सीमाज्ञान करने के लिए श्री धर्मपाल सिंह पटवारी, श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी एवं श्री संजय पटवारी आये थे जिन्होने मेरी पैतृक जमीन का सीमा ज्ञान किया था। मै दिनांक 18.06.2025 को श्री धर्मपाल सिंह पटवारी से मिला तो इन्होने मेरी जमीन की सीमाज्ञान रिपोर्ट देने के बदले में पटवारी श्री सुरेन्द्र सिंह वगैरा रुपये देकर खुष करने के लिए कहा था। मै दिनांक 25.06.2025 को श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी से मिला तो इन्होने मेरे से 8000 रुपये रिश्वत की मांग की थी जिन्होने आज मेरे से 8000 रुपये रिश्वत राशि लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में रख लिये। अरोपी श्री धर्मपाल सिंह पटवारी को परिवादी श्री रमेश से 7000 रुपये लेने के बारे में पूछा तो श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मै श्री रमेश को जानता हूँ। मुझे जमीन के सीमाज्ञान संबंधी कार्य की जानकारी कम होने के कारण मै श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी पटवार हल्का बड़बर व श्री संजय कुमार मान, पटवारी, पटवार हल्का बुहाना को साथ लेकर श्री रमेश की जमीन का सीमाज्ञान किया था। मैने श्री रमेश से 18,000 रुपये रिश्वत की मांग नही की थी तथा मैने श्री रमेश से 7000 रुपये रिश्वत के नही लिये थे। मै आज श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी के कार्यालय आया हुआ था तब वहा श्री रमेश निवासी गादली भी आया था तथा मेरे सामने ही श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी ने श्री रमेश से 8000 रुपये लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने

की बाई जेब में रख लिये। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री रमेश ने बताया कि श्री धर्मपाल सिंह पटवारी झुठ बोल रहे है इन्होने मेरे से मेरी जमीन का सीमाज्ञान करने की एवज में 18,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी तथा सीमाज्ञान करने से पहले मेरे से 7000 रुपये रिश्वत के ले लिये थे। जिस पर आरोपी श्री धर्मपाल सिंह पटवारी से परिवादी द्वारा बताई गई बातो के बारे में पूछा तो वह कुछ नही बोला, तत्पश्चात श्री करण सिंह हैडकानि. के दोनां हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला सा हो गया व दूसरे गिलास में आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह के बाये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिनको दो-दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट चस्पा कर क्रमशः मार्क R1 R2 एवं L1 L2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लासों को जलाकर नष्ट किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी को परिवादी श्री रमेश से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि मैने रमेश से रुपये लेकर मेरी पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब में रखे है जिस पर आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी की पहनी हुई पेंट की सामने की जेब की तलाषी गवाह श्री राकेश कुमार से लिवाई गई तो गवाह ने आरोपी की पहनी हुई पेंट की सामने की बाई जेब से पांच-पांच सौ रुपये के नोट निकालकर श्री राकेश से उक्त नोटो को गिनवाया गया तो गवाह ने पांच-पांच सौ रुपये के 16 नोट कुल 8000 रुपये होना बताया। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह की जेब से बरामद रिश्वत राशि का मिलान पूर्व की बनी फर्द पेशकशी एवं सपूर्दगी नोट से करवाया गया तो दोनो गवाहान ने बरामद नोट पूर्व की बनी फर्द पेशकशी एवं सपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के विवरण से मिलान होना बताया जिनका विवरण निम्न प्रकार है 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 0DD 151597, 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 7PK 824832, 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 8MS 930950, 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9VM 035798, 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 2CG 899850, 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 5TK 317278, 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 6VW 990155, 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 0BL 443931, 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 6NT 639967, 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 5CS 523435, 11 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 5PC 558147, 12 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 8UG 650619, 13 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 4SE 261830, 14 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 0BG 690536, 15 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9EB 611044, 16 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 2RB 490503 बरामद शुदा उपरोक्त 8000 रूपयों के नोटां को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथ एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास साफ पानी व साबुन से धुलवाकर प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह की पहनी हुई पेंट बरंग काला को सम्मान पूर्वक उतरावकर दुसरे लोवर की व्यवस्था कर, पेंट की सामने की बाई जेब को सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। दो कांच की शिशियो को साबुन पानी से धुलवाकर पेंट की जेब के धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर किया जिन पर मार्क P1 P2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जला कर नष्ट करवाया गया। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा पहनी हुई पेंट बरंग काला को सुखाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रख सील मोहर कर, कपडे की थैली पर सबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क B अंकित किया गया। अब तक की पूछताछ/कार्यवाही में आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी ने आरोपी श्री धर्मपाल सिहं पटवारी को दस हजार रुपये करीब दो माह पहले उधार देना बताया है। दोनो आरोपीगण को आमने सामने बैठाकर उधार दिये गये दस हजार रुपये के बारे में पूछा गया तो श्री धर्मपाल सिंह पटवारी ने बताया कि मैने श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी से कोई दस हजार रुपये उधार नही लिये थे, श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी झुठ बोल रहा है। जिस पर आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा आरोपी श्री धर्मपाल पटवारी को उधार दिये गये दस हजार रुपये के बारे में पूछा गया तो कुछ नही बोला। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी को श्री धर्मपाल पटवारी को उधार दिये गये दस हजार रुपये की लिखा पढी के बारे में पूछा गया तो लिखा पढी नही होना बताया। इसी दौरान श्री बजरंग जाखड़, तहसीलदार बुहाना ने श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी, पटवार हल्का बड़बर के प्राईवेट कार्यालय से फर्द मौका सीमाज्ञान आवेदक श्री रमेश निवासी ढाणी राघु के खसरा नम्बर 160/7 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163/8 रकबा 2.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166/8 रकबा 0.82 हैक्टेयर, फर्द मौका सीमाज्ञान आवेदक श्री रामसिंह निवासी राघु की ढाणी के खसरा नम्बर 161/7 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164/8 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 2.35 हैक्टेयर, फर्द मौका सीमाज्ञान आवेदक श्री शेर सिंह निवासी ढाणी राघु के खसरा न 162/8 रकबा 2.35 हैक्टेयर, खसरा न 165/8 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.98 हैक्टेयर की प्रमाणित प्रति लाकर पेश की जिन पर हल्का पटवारी के हस्ताक्षर व

दिनांक का अंकन नही है को संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। आवेदक श्री रमेश पुत्र श्री मुलाराम, श्री रामसिंह पुत्र श्री गणपत, श्री शेर सिंह पुत्र श्री मंगलाराम निवासियान ढाणी राघु तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं द्वारा सीमाज्ञान हेतु आनलाईन किये गये आवेदन की प्रति अपना खाता पोर्टल से निकाली गई जिस पर आवेदन तहसीलदार से पटवारी तक अग्रेषित है और पटवारी स्तर पर लम्बित है का अंकन है। उक्त प्रतियो पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह, पटवारी पटवार हल्का बड़बर, तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं की हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वत राशि, धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में कार्यालय के श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर लेपटॉप से जोडकर चलाकर देखा तो कुल पांच विडियो क्लीप रिकार्ड होना पाई जिनको बारी-बारी से चलाकर देखा तो दो विडियो क्लिप चालु होना पाया तथा शेष तीन विडियो क्लीप तकनिकी खराबी के कारण चालु (प्ले) नही हो रही है। मैमोरी कार्ड रिकार्ड विडियो क्लीप को दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोरी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क D अंकित किया गया। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री माडुराम, जाति यादव उम्र 55 निवासी गांव खांदवा तहसील बुहाना पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं हाल पटवारी, पटवार हल्का बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं व आरोपी श्री धर्मपाल सिंह पुत्र श्री किशनाराम, जाति गुर्जर उम्र 45 निवासी ढाणी गलदरिया तातीजा, तहसील खेतडी, पुलिस थाना खेतडीनगर, जिला झुंझुनूं हाल पटवारी, पटवार हल्का कलाखरी व अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गादली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं को जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 जूर्म से आगाह एवं संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराया जाकर जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री रमेश के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकार्ड है को डिजिटल वॉयस रिकार्डर को लेपटॉप से जोड़कर रिकार्ड वार्ता को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण कानि विक्रम सिंह न 92 से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की चार पेनड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव कम्पनी को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क C अंकित किया गया। दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क C-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी व श्री धर्मपाल सिंह पटवारी की आवाज होने की पहचान की है। प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 29 को कार्यालय के श्री राकेश कुमार कानि 243 से नष्ट कराई जाकर फर्द नमूना शील नष्टीकरण तैयार की गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री माडुराम, जाति यादव उम्र 55 वर्ष निवासी गांव खांदवा तहसील बुहाना पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं हाल पटवारी, पटवार हल्का बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं एवं श्री धर्मपाल सिंह पुत्र श्री किशनाराम, जाति गुर्जर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ढाणी गलदरिया तातीजा, तहसील खेतडी, पुलिस थाना खेतडीनगर, जिला झुंझुनूं, हाल पटवारी, पटवार हल्का कलाखरी व अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गादली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री रमेश द्वारा स्वयं की पैतृक जमीन का सीमाज्ञान करने की एवज में हल्का पटवारी श्री धर्मपाल सिंह, पटवार हल्का गादली ने 18,000 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना और परिवादी से 7000 रुपये प्राप्त कर लेना तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.06.2025 को परिवादी से 7000 रुपये लेना स्वीकार करना एवं शेष रिश्वत राशि अपने साथी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी वगैरा को देने के लिए कहना व दिनांक 25.06.2025 को परिवादी श्री रमेश से आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पटवारी द्वारा परिवादी से 8000 रुपये रिश्वत की मांग करना एव मांग के अनुशरण में दिनांक 30.06.2025 को 8000 रुपये रिश्वत लेते पकडा जाना जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 की परिधि में आता है। अतः आरोपीगण 1 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री माडुराम यादव, जाति यादव उम्र 55 वर्ष निवासी गांव खांदवा तहसील बुहाना पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं हाल पटवारी, पटवार हल्का बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं व 2 श्री धर्मपाल सिंह पुत्र श्री किशनाराम, जाति गुर्जर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ढाणी गलदरिया तातीजा, तहसील खेतडी, पुलिस थाना खेतडीनगर, जिला झुंझुनूं, हाल पटवारी, पटवार हल्का कलाखरी व अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गादली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (सुरेश चंद) पुलिस

निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।.............कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चंद पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन. एस. 2023 में आरोपीगण 1 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मांडुराम यादव, जाति यादव उम्र 55 वर्ष निवासी गांव खांदवा तहसील बुहाना पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं हाल पटवारी, पटवार हल्का बडबर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं व 2 श्री धर्मपाल सिंह पुत्र श्री किशनाराम, जाति गुर्जर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ढाणी गलदरिया तातीजा, तहसील खेतडी, पुलिस थाना खेतडीनगर, जिला झुंझुनूं, हाल पटवारी, पटवार हल्का कलाखरी व अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गादली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 25 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 961-64 दिनांक 02.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुन्झुनूं 2.-जिला कलक्टर, झुंझुनूं 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 4-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुन्झुनूं ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Subhash Meel **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/07/2025 17:...

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				
2	Male	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)